Sscgyan.com for more pdf and updates

भारतीय राजव्यवस्था कैप्सूल

संविधान का निर्माण :

a) भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जो कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अन्तर्गत स्थापित की गई थी.

b) संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का यह ऐतिहासिक कार्य लगभग 3 वर्षों (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) में पूरा किया.

c) इस दौरान कुल 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किये गए. इसमें से 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार और चर्चा के निमित्त लगे.

d) कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई थी जिसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था .इसकी रचना निम्नलिखित प्रकार से थी :

(i) 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे

(ii) 93 सदस्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व थे

(iii) 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रान्तों के प्रतिनिधि थे

इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 389 थी.

e) हालाँकि 3 जून, 1947 की माउन्टबटन योजना के तहत विभाजन के कारण, पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा बनाई गई और कुछ प्रान्तों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाए. परिणामस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई.

कैबिनेट मिशन

यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 09 मई 1945 को एक अंत पर आ चुका था. नई ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी अपनी नीति की घोषणा करते हुए संविधान निर्माण निकाय बनाने की बात की. तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भारत की स्वतंत्रता के सवाल के हल के लिए भारत भेजे गए. मंत्रियों (लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर) के इस समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया. यह मिशन भारत में मार्च 1946 से मई 1946 तक रहा. कैबिनेट मिशन ने संविधान के

फ्रेमवर्क पर चर्चा की और संविधान निर्माण तंत्र द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कुछ विस्तृत विवरण निर्धारित किये. ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के 296 सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त तक संपन्न हो गए. सभा ने 09 दिसम्बर 1946 को कार्य आरम्भ कर दिया.

प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार

संविधान सभा

a) भारत के लोगों ने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किया जिन्होंने फिर संविधान सभा का चुनाव किया.

b) डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभा में कुछ प्रमुख नेता थे.

c) फ्रैंक एंथनी एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

d) पारसियों के प्रतिनिधि एच.पी. मोदी थे.

e) अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख एक प्रतिष्ठित ईसाई हीरेन्द्र कुमार मुखर्जी थे जो एंग्लो-भारतियों के अतिरिक्त शेष सभी ईसाईयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

f) सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे. बाद में, डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभाके अध्यक्ष चुने गए जबकि डॉ भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

समितियां

1. प्रक्रिया नियम समिति 2. सञ्चालन समिति 3. वित्त एवं स्टाफ समिति 4. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
5. राज्य समिति . संघ शक्ति समिति . संघ संविधान समिति	पंडित जवाहरलाल नेहरु
6. मूल अधिकार , अल्पसंख्यक जनजातिय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति	वल्लभभाई पटेल
7. प्रारूप समिति	डॉ बी आर अम्बेडकर
8. सदन समिति	पट्टाभि बी सीतारामैय्या
9. संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति	जी. वी . मावलंकर
10. अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी . मुखर्जी
11. मूल अधिकार उप-समिति	जे. बी . कृपलानी
12. पूर्वोत्तर फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र एवं असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति	गोपीनाथ बारदोलोई

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773:

- द्वैध शासन की समाप्ति
- बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया जिसके अधीन सभी ब्रिटिश क्षेत्र दिए गए.
- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
- 4 वर्षों के लिए कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स का निर्वाचन
- डायरेक्टर्स की संख्या 24 सीमित कर दी गई, जिसमें से एक चौथाई प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे.
- बंगाल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और एवं उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया. 4 सदस्य थे – फिलिप फ्रांसिस, क्लावेरिंग, मोंसोन और बारवेल.

संशोधित अधिनियम 1781 :

- अपनी अधिकारिक क्षमता में कंपनी के सरकारी कर्मियों के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर रखा गया .
- सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र परिभाषित किया गया. उसे अपनी प्रक्रिया एवं निर्णय देते समय भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परम्पराओं को ध्यान में रखना था है और उनका सम्मान करना था.
- गवर्नर जनरल की परिषद् में निर्मित नियम एवं रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट के साथ पंजीकृत नहीं होते थे.

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट:

- कंपनी और संसदीय बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के रूप में सरकार द्वारा द्वैध शासन लागू हुआ.
- कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार को और अधिक नियंत्रण दिया गया.
- कंपनी, राज्य के अधीनस्थ एक सहायक विभाग बन गई.
- गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई.

1786 का एक्ट :

- गवर्नर जनरल को परिषद् से भी ऊपर प्रबल बनाने के लिए अधिक अधिकार दिए गए और कमांडर इन चीफ बना दिया गया. यह कार्नवालिस को भारत की गवर्नर जनरलशिप स्वीकारने के लिए किया गया.

1793 का चार्टर एक्ट :

- कंपनी को और 20 वर्षों तक व्यापर करने का एकाधिकार दिया गया.
- कोर्ट द्वारा व्याख्यायित लिखित कानून द्वारा सरकार की नींव राखी गई.

1813 का चार्टर एक्ट :

- चीन के साथ व्यापर एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापर के अतिरिक्त कंपनी का भारत में व्यापर करने का एकाधिकार छीन लिया गया.
- पहली बार, भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई.

1833 का चार्टर एक्ट :

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया.
- कंपनी को अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ बंद करने को कहा गया.
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया. (भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक बने).

1853 का चार्टर एक्ट :

- इस एक्ट ने कंपनी के अधिकारों को नये सिरे से तय किया और ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में बनाये रखने की अनुमति दी.
- सिविल सेवकों के भरती हेतु खुली वार्षिक प्रतियोगिता की व्यवस्था की. (भारतीयों के लिए नहीं)

भारत सरकार अधिनियम, 1858:

- भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया.
- भारत के लिए राज्य सचिव पद (ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य) का सृजन
- वह ताज की शक्तियों का प्रयोग करता था.
- भारत सचिव भारत पर गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करते थे.
- गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया. वह भारत सचिव का प्रतिनिधित्व करता था, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद् बनाई गई जिसमें सदस्य सरकार के उच्च अधिकारी थे.
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को अंततः समाप्त कर दिया गया.

भारत परिषद् अधिनियम, 1861:

- अब कार्यकारी परिषद् को केंद्रीय विधानपरिषद कहा जाने लगा.
- गवर्नर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया.

भारत परिषद् अधिनियम, 1892:

- प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों के लिए भी रास्ता खुला.
- चुनाव के कुछ तत्व प्रस्तावित किये गए.

- भारत परिषद् अधिनियम, 1909 या मार्ले-मिन्टो सुधार:
- इसमें मुस्लिम के लिए पृथक प्रतिधित्व की व्यवस्था की गई.

- भारत शासन अधिनियम, 1919 या मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार:
- प्रान्तों में द्विशासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया.
- प्रांतीय शासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया :

- **हस्तांतरित**
- इसमें विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर शासन करता था.

आरक्षित

- आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं थी.
- पहली बार देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई, हालाँकि वास्तविक रूप में यह 1935 के अधिनियम के बाद ही संभव हो पाया.
- राज्य सचिव को ब्रिटिश कोष से भुगतान किया गया.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- भारत का आयुक्त पद

भारत शासन अधिनियम, 1935:

- इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें शामिल थे-
- ब्रिटिश प्रान्त
- देसी रियासतें

- देसी रियासतों को संघ से जुड़ने का निर्णय स्वेच्छा से करना था और इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं क्योंकि संघ के लिए न्यूनतम आवश्यक रियासतों ने भी अपनी सहमती नहीं दी.
- केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की (जैसे- विदेश मामलों का और रक्षा विभाग गवर्नर जनरल के पास आरक्षित कर दिए गए)
- प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई.
- बर्मा (अब म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया.

भारतीय संविधान के भाग

1. **भाग I** अनुच्छेद 1-4 भारत का राज्यक्षेत्र, प्रवेश, स्थापना और नये राज्यों का निर्माण
2. **भाग II** अनुच्छेद 5-11 नागरिकता
3. **भाग III** अनुच्छेद 12-35 मूल अधिकार
4. **भाग IV** अनुच्छेद 36-51 राज्य की नीति के निदेशक तत्व
   भाग IV A अनुच्छेद 51-क मूल कर्त्तव्य. यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया.
5. **भाग V** अनुच्छेद 52-151 संघ सरकार
6. **भाग VI** अनुच्छेद 152-237 राज्य सरकार
7. **भाग VII** अनुच्छेद 238 1956में 7वें संशोधन से निरसित
8. **भाग VIII** अनुच्छेद 239-241 संघ राज्य क्षेत्र
9. **भाग IX** Article 242-243 अनुच्छेद 244- पंचायतें
10. **भाग X** 244क अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
11. **भाग XI** अनुच्छेद 245-263 संघ और राज्यों के बीच संबंध
12. **भाग XII** अनुच्छेद 264-300 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
13. **भाग XIII** अनुच्छेद 301-307 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार ,वाणिज्य और समागम

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

भाग XIV अनुच्छेद 308-
14. 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
भाग XIV-क अनुच्छेद 323ए-323 ख 1976में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें विवादों एवं अन्य शिकायतों के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था
अनुच्छेद 324-
15. **भाग XV** 329 निर्वाचन और निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 330- एससी/एसटी और
16. **भाग XVI** 342 एंग्लो भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान
भाग अनुच्छेद 343-
17. **XVII** 351 राजभाषा
भाग XVIII अनुच्छेद 352-
18. 360 आपात उपबंध
भाग XIX अनुच्छेद 361-
19. 367 प्रकीर्ण अर्थात विभिन्न विषयों से संबंध विभिन्न उपबंध
20. **भाग XX** अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन
21. **भाग XXI** अनुच्छेद 369-392 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध
22. **भाग XXII** अनुच्छेद 393-395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संविधान का निरसन

संविधान की सूचियाँ

1. **पहली अनुसूची** – राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
2. **दूसरी अनुसूची** – राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायलय के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आय एवं उनके बारे में उपबंध
3. **तीसरी अनुसूची**- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
4. **चौथी अनुसूची**- राज्य सभा में स्थानों का आवंटन
5. **पांचवी अनुसूची**- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
6. **छठी अनुसूची**- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
7. **सातवीं अनुसूची**- संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के विभाजन संबंधी सूचियाँ. इसमें 3 सूचियाँ – संघ सूची (केंद्र सरकार के लिए), राज्य सूची (राज्य सरकार के लिए) और समवर्ती सूची (संघ और राज्य दोनों)
8. **आठवीं अनुसूची**- संविधान द्वारा मान्य 22 भारतीय भाषाओं की सूची
9. **नौंवीं अनुसूची**- 1951 में पहले संशोधन से जोड़ी गई. इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग संबंधी अधिनियम और आदेश
10. **दसवीं अनुसूची**- 1985 में 52वें संशोधन से जोड़ी गई. दल परिवर्तन के बारे में निरअहर्ता के बारे में उपबंध

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

11. **ग्यारहवीं अनुसूची**- 1992 में 73वें संशोधन से जोड़ी गई. पंचायती राज संबंधी उपबंध
12. **बारहवीं अनुसूची**- 1992 में 74वें संशोधन से जोड़ी गई. नगर पालिका संबंधी उपबंध

हमारे संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान, विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों से मिलकर बना है लेकिन फिर भी इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं. प्रमुख स्रोत हैं :

1. **भारत शासन अधिनियम, 1935** – संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण
2. **ब्रिटिश संविधान** – संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद
3. **संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान** – मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग
4. **आयरलैंड का संविधान** – राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
5. **कनाडा का संविधान**- सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायलय का परामर्शी न्याय निर्णयन
6. **ऑस्ट्रेलिया का संविधान**- समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
7. **जर्मनी का संविधान**- आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन
8. **फ़्रांस का संविधान-** गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
9. **दक्षिण अफ्रीका का संविधान-** संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
10. **जापान का संविधान** – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
11. **सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान:** मूल कर्त्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श

संविधान की प्रस्तावना

हमारा संविधान प्रस्तावना से प्रारंभ होता है. पंडित नेहरु द्वारा दिया गया उद्द्शेय प्रस्ताव अंततोगत्वा प्रस्तावना बना. यह संविधान ा सार अथवा मूलतत्व है. यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा बदला गया और इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता.

वर्तमान में प्रस्तावना इस प्रकार है:
"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं."

प्रस्तावना में संशोधन ?
क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले (1973) में उठा. यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है. लेकिन उच्चतम न्यायलय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है. अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है. इसके जरिये इसमें तीन नए शब्द – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया.इस संशोधन को वैध ठहराया गया.

मूल अधिकार

ये न्यायोचित हैं। इनके उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए ये व्यक्ति को न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं.

इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है. हालाँकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है. राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है. अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को केवल तब स्थगित किया जा सकता है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो.
मूलतः संविधान में सात मूल अधिकार दिए गए थे:

1. समानता का अधिकार [अनुच्छेद 14-18]
2. स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 19-22]
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 25-28]
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार [अनुच्छेद 29-30]
6. संपत्ति का अधिकार [अनुच्छेद 31]
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32]

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

हालाँकि, 'संपत्ति का अधिकार' 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया. इसे संविधान में अनुच्छेद 300-क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया. इसलिए अब केवल छः मूल अधिकार हैं.

1. समानता का अधिकार [अनुच्छेद 14-18]

- अनुच्छेद 14:- विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण
- अनुच्छेद 15:- धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के भेदभाव का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16:- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 17 :- छुआछूत का अंत
- अनुच्छेद 18 :- सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक

2. स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 19-22]

- अनुच्छेद 19 :- यह भारतीय नागरिकों को निम्न छः अधिकार देता है :-

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. सम्मलेन की स्वतंत्रता
3. संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता
4. सर्वत्रसंचरण की स्वतंत्रता
5. निवास की स्वतंत्रता
6. व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 20 :- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और विरोध से संरक्षण

4. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].

- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- अनुच्छेद 24 :- कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध

5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 25-28]

- अनुच्छेद 25 :- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतत्रता
- अनुच्छेद 27 :- किसी विशिष्ट धर्म के विकास के लिए करों से छूट की स्वतत्रता
- अनुच्छेद 28 :-कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

6. संपत्ति का अधिकार [अनुच्छेद 31]

- अनुच्छेद 31 :- 44वें संशोधन द्वारा निरसित

7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32]

- अनुच्छेद 32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अधिकार

भाग-IV: राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व [अनुच्छेद 36 to 51]

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व की उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका के सभी अंग, सभी स्थानीय निकाय और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरण शामिल हैं. निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है यानि कि उनके हनन पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता. अतः सरकार (केंद्र या राज्य) इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं. इनका उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है.

मूल कर्त्तव्य

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क के रूप में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई. इसके लिए संविधान में एक नया भाग IV क को जोड़ा गया.

यह जापानी मॉडल पर आधारित है .कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय जोड़ने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने इस आलोक में सुझाया था कि अधिकार और कर्त्तव्य एक दुसरे के पूरक हैं. इसके अलावा, बाद में संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा 51 A (k) के रूप में 11वां कर्त्तव्य जोड़ा गया. यह है:

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह “6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए.”

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

11 मूल कर्त्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा -

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोये रखे और उनका पालन करे.
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें.
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे.
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों.
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें.
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें.
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें.
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें.
11. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए.

नागरिकता

नागरिक वह व्यक्ति होता है जो उस समुदाय या राज्य की पूर्ण सदस्य का लाभ प्राप्त करता है, जिसमें वह रहता है या सामान्यतः रहता है. राज्य अपने नागरिकों से कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों की मांग करता है जो गैर-नागरिकों से अपेक्षित नहीं होते.

नागरिकता अर्जित करने के तरीके

भारत का संविधान, नागरिकता अधिनियम (संशोधित), 1986 के तहत पांच तरीकों से भारत की नागरिकता प्रदान करता है. ये हैं:

a) जन्म से नागरिकता

26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और 1 जुलाई 1947, से पूर्व भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा. यद्यपि, वह भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय :

- उसके माता पिता विदेशी राजनयिक हों या
- उसके माता पिता शत्रु देश के हों

b) वंश के आधार पर नागरिकता

- कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पूर्व हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत नागरिक बन सकता है यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो.

c) पंजीकरण द्वारा नागरिकता

कोई व्यक्ति जो भारत का नागिरक नहीं है और निम्न में से किसी श्रेणी से सम्बंधित है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है

(वह भारत में कम से कम पांच वर्षों से रह रहा हो):

1) भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से ठीक पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो.
2) महिलाएं जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह किया हो.
3) भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

4) अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित देशों का नागरिक जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो.

d) प्राकृतिक रूप से नागरिकता

केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है. यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो-

1) ऐसे देश से सम्बंधित नहीं हो, जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते.
2) भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने पर अन्य देश की नागरिकता त्याग दे.
3) आवेदन से ठीक 12 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो. इन 12 माह से पूर्व, 7 वर्षों तक वह भारत में रह रहा हो और/या भारत सरकार की सेवा में हो. यह 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए.
4) उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए.
5) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओँ में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो.
6) प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने के बाद भारत में रहने का इच्छुक हो.
7) हालाँकि भारत सारकार उपरोक्त शर्तों के मामलों पर एक या सभी दावों को हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञानं, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो. इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठां की शपथ लेनी होगी.

e) क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता

यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार उस क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है.

राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा.

अनुच्छेद 53 –संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारीयों के माध्यम द्वारा करेगा .

इस प्रकार राष्ट्रपति है :

(1) गणतंत्र का कार्यकारी प्रमुख
(2) सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किये जाते हैं. कार्यकारी शक्ति के संचालन में सहयोग और सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है [अनुच्छेद 74(1)]. 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है.
(3) वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पाता है. वरीयता पत्र (Warrant of Precedence) राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में गणमान्य व्यक्तियों का अनुक्रम दर्शाता है.
(4) वह सशस्त्र बालों का सर्वोच्च कमांडर होता है.

राष्ट्रपति का चुनाव

भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं. उनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है.

अनुच्छेद 54 –

निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं:

(a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (मनोनीत सदस्य शामिल नहीं)
(b) राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य)

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उपबंध अनुच्छेद 55 में और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति (चुनाव) अधिनियम, 1952 में दिए गए हैं जो बाद में 1974 में संशोधित हुआ. संविधान के अनुच्छेद 55 में सुझाई गई प्रक्रिया है :
एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की कुल जनसँख्या/ (कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या) x 1000
इसका अर्थ यह है कि एक राज्य के विधायक के मत का मूल्य किसी अन्य राज्य के विधायक के मत के मूल्य से अलग हो सकता है. यह जनसँख्या के संबंध में बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया.

इसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य होता है :
एक सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) के विधायकों के मतों का कुल मूल्य/ (निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या)
यह फार्मूला, सांसदों और विधायकों के बीच मतों में बराबरी लाने के उद्देश्य से अपनाया गया.
संविधान का अनुच्छेद 62 यह व्यवस्था देता है कि पद रिक्तता को भरने के लिए जितना जल्दी संभव हो चुनाव करा लिए जाएँ, और किसी भी हालात में पद रिक्त होने की तिथि से इसमें छः महीने से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए (यह पद रिक्तता राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हो सकती है). इसमें यह भी खा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा.

राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं

(a) वह भारत का नागरिक हो.
(b) 35वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
(c) लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो.
(d) वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो. एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता. इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है.

पुनः चुने जाने के लिए योग्यता

वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर हो या रहा हो, पुनः चुने जाने के लिए योग्य होता है.

राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया [अनुच्छेद 61]

(1) राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है.
(2) उन पर महाभियोग केवल तभी चलाया जाएगा जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो.
(3) यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है.
(4) महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है. इस प्रस्ताव पर उस सदन के कुल सदस्यों के न्यूनतम ¼ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए. ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना आवश्यक होगा. यह प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया हो.
(5) तब संसद का दूसरा सदन जिसे जाँच सदन कहा जाएगा, आरोपों की जाँच करेगा.
(6) राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने औ अपना प्रतिनधित्व करने का अधिकार होगा.
(7) यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा.

नोटः

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

(a) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की महाभियोग प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती जबकि वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं.

(b) संसद के मनोनीत सदस्यों को महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विमर्श करने और मत देने का अधिकार है जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में उनका मत नहीं होता .

कार्यकारी राष्ट्रपति द्वारा पदरिक्तता को भरना

(1) उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या महाभियोग के कारण पद खरिक्त हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायलय का वरिष्ठतम न्यायाधीश नए चुनाव संपन्न होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा.

(2) यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हों तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और वह संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के पत्र होगा.

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्न हैं:

1. वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है. वह प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है.
2. वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है.
3.
4. संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले सकते हैं. राष्ट्रपति किसी बिल को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यदि वह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक न हो. पुनर्विचार के बाद विधेयक पास होकर जब राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा तो उसे अनुमति देना उनके लिए अनिवार्य होगा.
5. राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधेयक को अपनी अनुमति के लिए असीमित समय के लिए अपने पास रोक सकता है.
6. संसद के दोनों सदनों की सत्रावसान की अवधि में सरकार को तुरंत किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि संसद से पास कोई अन्य विधेयक.

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां निम्न हैं:

1. वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और पीएम की सलाह पर मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा करता है.
2. राष्ट्रपति विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होता है. ये हैं:
   राज्यों के राज्यपाल/मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश/महान्यायवादी/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त/संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य/ अन्य देशों में राजदूत एवं उच्चायुक्त
3. राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र बालों का सर्वोच्च कमांडर होता है.

वित्तीय शक्तियां

1. धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है.
2. वह वार्षिक बजट और पूरक बजट को संसद के समक्ष रखता है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

3. राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग नियुक्त करता है.

न्यायिक

1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है.
2. वह न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है यदि संसद के दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं.
3. उसे क्षमादान देने का अधिकार है. राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को निलंबित, माफ़ या परिवर्तित कर सकता है.

क्षमादान – अपराधी को पूर्णतः क्षमा
स्थगन आदेश – फांसी को अस्थायी रूप से स्थगन
सजा को हल्का करना – सजा का प्रकार बदलना जो हलके प्रकृति की सजा हो
घटाव/विलम्ब – विशेष मामले में सजा कम करना या देरी करना
घटाव – सजा की प्रकृति बदले बिना उसे कम करना

कूटनीतिक शक्तियां

सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं. यद्यपि, वास्तव में, ये बातचीत सामान्यतः पीएम द्वारा अपने मंत्रिमंडल की सहायता (विशेषकर विदेश मंत्री) से की जाती हैं. इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है. वह औपचारिक कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है. वह राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं बुलाता है.

सैन्य शक्तियां

राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है. वह संसद की अनुमति से युद्ध और उसकी समाप्ति की घोषणा करता है. सभी प्रमुख संधियाँ और अनुबंध उसके नाम से ही होते हैं.

आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति तीन प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है-राष्ट्रीय ,राज्य/राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल

भारत का उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है. इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं.

उप राष्ट्रपति न तो संसद का और न ही किसी राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए. यदि वह संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपनी सीट खली करनी होगी.

एक व्यक्ति को उप राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता जबतक कि वह-

- भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
- राज्यसभा सदस्य बन्ने की योग्यता रखता हो.
- वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो.

उपराष्ट्रपति को हटाना

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को, राज्य सभा में पूर्ण बहुमत (कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक) से संकल्प प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सामान्य बहुमत (मत करने वाले में से 50%) से अनुमति आवश्यक है.

उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां

उप राष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं:

1. वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है. इस सन्दर्भ में उसकी शक्तियां व् कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं.
2. जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है. वह राष्ट्रपति के रूप में केवल छः महीने ही कार्य कर सकता है, इस बीच नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए. इसके तिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है.
3. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है. इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है.
4. प्रथम बार, जून 1960 में डॉ राजेंद्र प्रसाद के 15 दिन के सोवियत संघ के दौरे के समय उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था.
5. प्रथम बार, जून 1969 में, जब राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन का निधन हो गया था और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था तब देश के मुख्य न्यायाधीश एम्. हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था

प्रधानमंत्री

संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी पमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं. राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

अनुच्छेद 75 क अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है. लेकिन जब लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति पीएम के चयन और नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है.

कार्यकाल

पीएम का कार्यकाल तय नहीं होता और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है. अतः जब तक पीएम लोकसभा में अपना बहुमत रखता है राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता. तथापि यदि वह लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होगा या राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं.

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां

पीएम के कार्य और शक्तियां निम्न हैं:

- वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किसे मंत्री बनाया जाएगा.
- वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है.
- वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतरराज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है. हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद् होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है. अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के संबंध में और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यताएं, शपथ एवं वेत्तन और भत्तों के संबंध में उपबंध है.

नोट:
पीएम सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. [91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003]

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है लेकिन उसे छः माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी (निर्वाचन या नामांकन द्वारा) [अनुच्छेद 75(5)]
मंत्रिपरिषद तीन श्रेणियों की होगी: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री.

कैबिनेट मंत्री: इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त और विदेश व् अन्य मंत्रालय होते हैं.

राज्य मंत्री: राज्य मंत्रियों को मंत्रालय/विभगों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ लगाया जा सकता है.

उप मंत्री : उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है. उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है. वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते.

एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परन्तु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है. [अनुच्छेद 88]

भारतीय संसद

लोगों का सदन (लोक सभा)

लोक सभा संसद का प्रसिद्ध, चर्चित सदन है क्योंकि इसके सदस्य भारत के आम मतदाताओं द्वारा सीधे चुन कर आते हैं. इस सदन के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, केवल एंग्लो-भारतीय समुदाय से दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं. संविधान में लोकसभा सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है. इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 (530 राज्यों से, 20 केन्द्रशासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो-भारतीय समुदाय से हो सकते हैं) निर्धारित की गई है. 2001 में सरकार ने 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, द्वारा सीटों की इसी व्यवस्था को 2026 तक के लिए बाधा दिया है.

लोकसभा की विशेष शक्तियां
कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो संविधान द्वारा केवल लोकसभा को ही प्रदान की गई हैं, राज्यसभा को नहीं.ये शक्तियां हैं –

1. धन और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

2. धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है. एक धन विधेयक उच्च सदन द्वारा 14 दिन में पास करना पड़ता है. अन्यथा विधेयक सदन से स्वतः पास मान लिया जाएगा. इस प्रकार लोकसभा धन विधेयक पास करने के संबंध में विशेष विशेष विधायी अधिकार रखती है.
3. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. इसीलिए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल इसी सदन में रखा जा सकता है.
4. अनुच्छेद 352 के तहत लोकसभा विशेष बैठक में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आअत्कलीन घोषणाओं को स्वीकार अथवा रद्द कर सकती है.

लोकसभा की अवधि

सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है. लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सामान्य अवधि के पूर्व भी सदन को भंग किया जा सकता है. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका कार्यकाल बढाया भी सकता है.

लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं

लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति :

1. भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. 25 वर्ष से कम आयु का न हो.
3. भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो.
4. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो.
5. पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए.
6. संसद की किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य न हो.

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

लोकसभा का अध्यक्ष -

1) लोकसभा का सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है.
2) वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही पर उसके फैसले अंतिम होते हैं.
3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर सदन द्वारा प्रभावी बहुमत से उनके पद से हटाया जा सकता है.
4) अपने पद की निष्पक्षता और गरिमा बनाये रखने के लिए अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है और यह निर्णायक मत कहलाएगा.

अध्यक्ष की विशेष शक्तियां

कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त हैं जबकि समान शक्तियां उसके समकक्ष, उच्च सदन के अध्यक्ष को भी नहीं प्राप्त हैं. ये हैं -

1. किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्णय का अधिकार अध्यक्ष को ही है.
2. अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन होगा.
3. संसदीय समितियां अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करती हैं और उन समितियों के अध्यक्ष भी यही नियुक्त या मनोनीत करता है. राज्यसभा के सदस्य भी कुछ समितियों के सदस्य होते हैं.
4. यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

अध्यक्ष का विशेष स्थान

संविधान लोकसभा अध्यक्ष के लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था देता है -

1. यद्यपि यह लोक सभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है तब भी वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है. यह इसलिए क्योंकि वह न केवल सदन की संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है बल्कि लोकसभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है जो सदन के भंग होने के बाद भी कार्य करता रहता है.
2. अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है.
3. किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय अध्यक्ष करता है और इस संबंध में यह निर्णय अंतिम होता है.
4. वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है जो भारत में अंतर-संसदीय संघ के रूप में कार्य करता है.

प्रोटेम स्पीकर

संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष, नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है. फिर राष्ट्रपति, सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं. प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं.

प्रोटेम स्पीकर के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं. वह नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है. उसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है.

राज्य सभा

राज्य सभा या राज्यों की सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है. इसकी सदस्यता 250 सीमित है जिसमें से 12 सदस्य, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं.

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है. इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जिसमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवामुक्त हो जाते हैं. राज्य सभा के सत्रों का तो अंत होता है किन्तु निचले सदन की तरह यह कभी भंग नहीं होती. भारत के उप-राष्ट्रपति (वर्तमान में वैंकेया नायडू) इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से होता है, वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य संभालता है. राज्य सभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी.

सदन का नेता

अध्यक्ष (भारत के उप-राष्ट्रपति) और उपाध्यक्ष के साथ ही एक सदन का नेता भी होता है. यह एक कैबिनेट मंत्री-प्रधान मंत्री, यदि वह सदन का सदस्य है तो, अथवा कोई अन्य मनोनीत सदस्य होता है. नेता की कुर्सी अध्यक्ष के बाद प्रथम पंक्ति में होती है.

सदस्य

एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए

(a) भारत का नागरिक होना चाहिए,

(b) 30वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए,

(c) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो और

(d) संसद द्वारा समय समय पर पारित योग्यताओं को पूरा करता हो .

राज्य सभा की शक्तियां

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों के संबंध में समान अधिकार प्राप्त हैं. धन विधेयक के विषय में राज्य सभा को कोई अधिकार नहीं मिला है. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है. वहां पारित होकर जब यह राज्यसभा में आता है तो यहाँ इसे 14 दिन में पारित करना होता है अथवा यह स्वतः पारित मान लिया जाता है.

उच्च सदन के रूप में राज्यसभा के कार्य

राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, राज्यसूची के किसी विषय को उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है. इसके पश्चात संसद एक वर्ष तक उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है.

यह प्रस्ताव संसद का ध्यान अपनी और खींचता है. प्रस्ताव की वैधता केवल एक वर्ष होती है लेकिन इसे विस्तार देकर एक और वर्ष के लिए बढाया जा सकता है.

द्वितीय, राज्य सभा अनुच्छेद 312के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है.

तृतीय, राज्य सभा को उप-राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का विशेष अधिकार है. ऐसा इसलिए क्योंकि उप-राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं और उसी रूप में अपना वेतन पाते हैं.

संसद संबंधी शब्दावली

a) आहूत करना

संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय-समय पर समान जरी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरे शब्दों में, संसद को कम से कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिए. सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं:-

- बजट सत्र (फरवरी से मई);
- मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) और
- शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर).

एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को 'अवकाश' कहते हैं.

b) संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है.

लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है [अनुच्छेद. 118(4)].

भारतीय संसद के इतिहास में अब तक संयुक्त बैठक के के.वल तीन अवसर हैं.ये निम्न हैं :

(i) मई 1961 में दहेज़ निषेध विधेयक, 1959.

(ii) मई 1978, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977

(iii) 2002, पोटा (POTA-आतंकवाद निवारण विधेयक)

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न दो विषयों के लिए बुलाई जा सकती है -

(i) किसी विधेयक को पारित करने में गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए

(ii) राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण – प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में; प्रति वर्ष प्रथम सत्र में (बजट सत्र)

नोट: "धन विधेयक" और "संविधान संशोधन विधेयक" संबंधी गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती

c) सत्रावसान

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या अध्यक्ष) सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है. इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है. हालाँकि, राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है.

d) स्थगन

यह सदन के सभापति द्वारा संसद के सत्र में छोटे समय के लिए अवकाश होता है. इसकी अवधि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है.

e) अनिश्चित काल के लिए स्थगत

जब सदन पुनः बैठने के दिन की घोषणा के बिना ही स्थगित कर दिया जाता है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं.

संसद सदस्य की अयोग्यता के बिंदु

संसद सदस्य को निम्न आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है.

- अनुच्छेद 102(1) (a): यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है. संसद (सदस्य की अयोग्यता संबंधी) अधिनियम 1959 के अनुसार संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद लाभ के पद नहीं हैं.
- अनुच्छेद 102(1) (b): यदि संसद सदस्य विकृत चित्त है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है.
  अनुच्छेद 102(1) (c): यदि वह न्यायालय द्वारा घोषित दिवालिया है.
  अनुच्छेद 102(1) (d): यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभिस्वीकार किये हुए है.
- अनुच्छेद 102(2): यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य ठहरा दिया जाता है. (दसवीं अनुसूची)

संसद में विधायी प्रक्रिया

विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है. प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है. विधेयक कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव है और जब यह विधिवत अधिनियमित हो जाता है तो यह अधिनियम या कानून बन जाता है.

संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं: सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक (इन्हें क्रमशः सरकारी विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी कहा जाता है). यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं किन्तु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर होता है.

संसद में विधेयक

संविधान में निम्न चार श्रेणियों के विधेयकों का वर्णन है:

साधारण विधेयक
धन विधेयक
वित्त विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक

साधारण विधेयक

धन, वित्तीय और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं. यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है. इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरुरत नहीं पड़ती (सिवाय अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लाये गए विधेयक के). यह दोनों सदनों द्वारा साधारण

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

बहुमत द्वारा पारित किया जाता है. दोनों सदन साधारण विधेयक पारित करने के लिए बराबर विधायी शक्ति रखते हैं. यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से समाप्त किया जा सकता है.

धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है. इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे:
(1) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
(2) केंद्रीय साकार द्वारा उधर लिए गए धन का विनियमन
(3) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना.
(4) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग.
(5) भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यव की राशी में वृद्धि
(6) भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परिक्षण, या
(7) उपरोक्त विनिर्दिष्टकिसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय.
भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प
विनियोग – भारत की संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है.

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है. यह दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है. लोकसभा धन विधेयक के संबंध में अधिक विधायी शक्ति रखती है और राज्यसभा अपनी विधायी शक्ति के तहत धन विधेयक को ख़ारिज या स्वीकार नहीं कर सकती. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है. यह निर्णय अंतिम निर्णय होता है और उसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती.

लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेज दिया जाता है. राज्यसभा के पास निम्न चार विकल्प होते हैं:
(i) वह विधेयक पारित कर दे.
(ii) वह सीधे ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे- ऐसे में विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा.
(iii) यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों में पारित नहीं करती है तब विधेयक प्राप्ति के 14वें दिन की समाप्ति के बाद विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा.
(iv) राज्यसभा विधेयक में संशोधन सुझा सकती है तब विधेयक निम्न सदन में वापस आ जाता है. यदि लोकसभा एक या अधिक संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तब विधेयक अपने नए रूप में पारित माना जाएगा. दूसरी तरफ यदि लोकसभा संशोधन को अस्वीकार कर देती है तब विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से अपने मूल रूप में पारित मान लिया जाएगा.
इसमें दोंनो सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता. राष्ट्रपति द्वारा इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है किन्तु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है.

वित्त विधेयक

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

एक या अधिक धन संबंधी विषय और यदि एक या अधिक गैर-धन संबंधी विषय से अलग जो विधेयक होता है वह धन विधेयक कहलाता है. यह धन विधेयक की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है. प्रस्तुत करने के बाद जब तक इसमें गैर-धन संबंधी विषय है यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाएगा.

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान के एक या अधिक प्रावधानों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लाये गए विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं. यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है. इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं होती. यह विधेयक, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए. संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में बनी असहमति या गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं देता.

राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति

संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमती देता है. हालाँकि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो की शक्ति होती है जैसेकि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है.

अत्यांतिक वीटो

a) इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है, जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है. यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और विधेयक नहीं बन पाता है. सामान्यतः यह विधेयक निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है:

b) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में; और

c) सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे (जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो) और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनि सहमती न देने की सलाह दे.

निलंबनकारी वीटो

राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटता है. हालाँकि यदि संसद विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है. राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकता है.

पॉकेट वीटो

इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमती देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है परन्तु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है. राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की (सकारात्मक या नकारात्मक) शक्ति, पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है. इस वीटो के अंतर्गत विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं है.

भारत में आपातकालीन उपबंध

भारत में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं. भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंध हैं :

(1) अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल
(2) अनुच्छेद 356 – राष्ट्रपति शासन
(3) अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

a) यदि राष्ट्रपति समझे कि भारत की अथवा इसके किस भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति पूरे देश में अथवा इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही कर सकता है.

b) राष्ट्रपति को आपात उद्घोषणा वापस लेने अथवा उसमें परिवर्तन का अधिकार है. आपातकाल की सभी उद्घोषणाएं संसद की स्वीकृति के लिए भेजनी होगी और यह संसद के दोनों सदनों में एक माह के अन्दर सदन के बहुमत और उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वालों के दो तिहाई विशेष बहुमत से पारित करना होगा अन्यथा उद्घोषणा एक माह के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेगी. आपातकाल स्वीकृति के बाद 6 महीने से अधिक समय तक नहीं लागू रहना चाहिए.

c) 6 माह पश्चात् इसे पुनः संसद से पारित कराना होगा अन्यथा यह समाप्त हो जाएगी. यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो यह अनिवार्य रूप से राज्यसभा द्वारा 1 माह में पारित होना चाहिए और नई लोकसभा भी 1 महीने में इसे पुनः पारित करे.

d) लोकसभा आपातकाल को किसी भी समय समाप्त कर सकती है. इस मामले में यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर/अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को (यदि सदन नहीं चल रहा हो) लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अन्दर उद्घोषणा के जरी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार-विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है. यदि लोकसभा आपातकाल को जरी रखने से मना कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करना होगा.

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की सूचना के आधार पर या दूसरे ढंग से यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती तो वह ऐसा कर सकते हैं :

(a) राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है; और

(b) यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसद राज्य से सम्बंधित विषयों में राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी किन्तु राष्ट्रपति को सम्बंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और वह उनसे सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता.

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में दो माह के भीतर साधारण बहुमत के संकल्प से पारित करनी होगी, अन्यथा उद्घोषणा अप्रभावी हो जाएगी. संसद द्वारा पारित होने के पश्चात् उद्घोषणा की तिथि से आपातकाल अधिकतम 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा. संसद से यह स्वीकृति साधारण बहुमत द्वारा ली जा सकती है. यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा को इसे 2 माह में स्वीकृति देनी होगी और लोकसभा के पुनर्गठन के 1 माह में इसे पारित करना होगा. हालाँकि संसद इसे अधिकतम 6 माह के लिए और बढ़ा सकती है.

यदि इस उद्घोषणा को 1 साल से अधिक के लिए बढ़ाना हो तो निम्न रूप में आश्वस्त होना चाहिए -

- सम्बंधित राज्य के पूरे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात घोषित हो.
- निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना संभव नहीं है.

लेकिन किसी भी हालात में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं लगाया जा सकता. इसे और अधिक बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी.

वित्तीय आपातकाल

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

(a) अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है. यदि वह संतुष्ट हो की ऐसी स्थिति हो गई है, जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है तो वह ऐसी घोषणा कर सकता है.
(b) ये घोषणाएं :
(c) राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती हैं.
(d) वित्तीय आपात उद्घोषणा के दो माह के भीतर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है. एक बार स्वीकृति मिलने के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा वापस न लिए जाने तक बढ़ाई जा सकती है.

वित्तीय आपात के प्रभाव

(1) राष्ट्रपति वित्तीय संसाधनों के राज्यों के साथ बंटवारे पर रोक लगा सकते हैं.
(2) राष्ट्रपति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है.
(3) वह राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए कह सकता है.
(4) राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित उसके विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रख सकता है.
(5) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है.

राज्य विधानमंडल

राज्य विधानमंडल (विधान सभा)

विधान सभा, विभिन्न राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) के राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है. विधानसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के अंतर्गत उस राज्य के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं. प्रत्येक विधानसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और फिर सभी सीटों के लिए पुनः चुनाव कराए जाते हैं. विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है. हालाँकि संसद के एक अधिनियम द्वारा विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम भी हो सकती है. गोवा, सिक्की और मिजोरम के विषय में ऐसा ही है. राज्यपाल, एंग्लो-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य मनोनीत कर सकता है यदि उसे लगता है कि सदन में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है.

विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं

1. वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो.
2. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
3. वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए.
4. उसे यह शपथपत्र देना होगा कि उसके खिलाफ कोई अपराधिक कार्रवाई नहीं चल रही है.

विधानसभा बनाम लोकसभा

उच्च सदन से संबंध के विषय में विधानसभा की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा अधिक मजबूत है. विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित अंतर है:

1. धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की स्थिति लोकसभा के समान ही है. केंद्र में या राज्य में उच्च सदन को संशोधन या विधेयक को रोकने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय ही मिलता है.
2. धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में विधानसभा की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा मजबूत है. जहाँ संघीय संसद में संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध दूर किया जाता है, राज्य में गतिरोध दूर करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. विधानसभा की इच्छा ही अंततः प्रबल होती है. राज्य स्तर पर उच्च सदन अधिकतम 4 माह तक विधेयक पारित करने में देरी कर सकता है जिसमें भी 3 माह प्रथम बार में और 1 माह दूसरी बार में.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

3. राज्यसभा से एक विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) पारित करने की समय सीमा जहाँ 6 माह है वहीँ विधानपरिषद में यह केवल 3 मास है.

विधान परिषद्

भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की तरह विधानपरिषद एक स्थायी निकाय है जो कभी विघटित नहीं होती. इसका प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) छह वर्ष के लिए अपनी सेवा देता है और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवामुक्त हो जाते हैं. वर्तमान में भारत के छह राज्यों में विधानपरिषद है :आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश.

विधानपरिषद् सदस्य बनने के लिए योग्यताएं

- वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो.
- 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
- वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए
- वह दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए
- वह उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो.

विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव

- एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगर निगम, नगरपालिका और जिला परिषद्/बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं.
- एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है किन्तु ये उम्मीदवार विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए.
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक करते हैं.
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य में 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों (कॉलेज, विश्वविद्यालय भी शामिल) से कम के नहीं होने चाहिए.
- शेष या 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखते हों.

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र से होती है. इस प्रकार वह केंद्र की मंत्रिपरिषद द्वारा मनोनीत होता है. राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, उसके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती. वह राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है. राज्यपाल को हटाए जाने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जैसाकि राष्ट्रपति के संबंध में है.

राज्यपाल की शक्तियां कार्यकारी शक्तियां

- वह उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो.
- ज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और उन्हें उनके विभाग बांटता है.
- वह राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है.
- ज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है.

विधायी शक्तियां

- वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है और उन्हें संबोधित कर सकता है.
- वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को सम्बोधित कर सकता है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- वह विधानसभा को विघटित कर सकता है. यह औपचारिक शक्तियां हैं और इनके प्रयोग के समय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा.
- इन अवसरों पर राज्यपाल का संबोधन सामान्यतः राज्य सरकार की नई नीतियों की रूपरेखा होती है.
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है.
- राज्यपाल, किसी विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है.
- जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता लग रही हो तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है.

वित्तीय शक्तियां

- धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमती के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है.
- वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य-बजट) राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए.
- बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती.
- वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है.
- वह वित्त आयोग का गठन करता है.

विवेकाधीन/न्यायिक शक्तियां

कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार स्वयं निर्णय करना पड़ता है. ऐसी शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां कहलाती हैं :

- जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तब राज्यपाल सबसे बड़े दल को अथवा दो या अधिक दलों के नेताओं को आम सहमति से सरकार बनाने को कह सकता है. तब राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है.
- राज्यपाल, राष्ट्रपति को सूचित करते हुए रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं.
- राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है. (अनुच्छेद 200)

गवर्नर की वीटो की शक्ति

जब राज्य विधानमंडल से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष आता है तो वे निम्न कदम उठा सकते हैं:

1. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है.
2. स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है.
3. विधेयक को (यदि वह धन-संबंधी विधेयक न हो) विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है.
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है.

राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल द्वारा उनके लिए आरक्षित विधेयकों के संबंध में आत्यंतिक वीटो की शक्ति होती है. राष्ट्रपति निम्न कार्यवाही कर सकते हैं :

1. धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा आरक्षित रख सकते हैं.
2. वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे.यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है. इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती.

स्थानीय स्वशासन

पंचायती राज

- पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की प्रथम श्रेणी या स्तर है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- भारत में 'पंचायती राज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है. 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया.
- स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष गांवों के विकास की तत्कालिक समस्या थी. अतः 1952 में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्य को ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया.
- राजस्थान 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना. उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया.

73वें संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इसने भारतीय संविधान में भाग 9 का उपबंध किया.
- इस भाग को "पंचायत" नाम दिया गया जो अनुच्छेद 243(क) से 243 (ण) तक है. इसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों से सम्बंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है.
- सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का है. समय से पूर्व भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे.
- सभी स्तरों पर पंचायतों में 1/3 भाग (सदस्य और सरपंच दोनों) स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगें.
- यह अधिनियम राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करता है जो इस प्रकार है :

(i) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
(ii) ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति/क्षेत्र पंचायत
जिला स्तर पर जिला पंचायत/जिला परिषद् पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनिवार्य प्रावधान

1. एक गाँव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन
2. ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना
3. पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
4. सभी स्तरों पर (प्रमुख एवं सदस्य दोनों के लिए) अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण
5. सभी स्तरों पर (प्रमुख एवं सदस्य दोनों के लिए) एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित
6. सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित. समय से पूर्व पंचायत भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे.
7. पंचायती राज संस्थानों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
8. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जनि चाहिए.

सांगठनिक ढांचा

(i) गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जायेंगे. ग्राम सभा का **प्रधान (अध्यक्ष)** ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा.

नोट: ग्राम सभा से तात्पर्य उस निकाय से है जिसमें गाँव स्टार पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं.

(ii) ब्लाक लेवल पर पंचायत समिति

पंचायत समिति के अंतर्गत अनेक ग्राम पंचायत होते हैं. उस ब्लाक के सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुख पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं.

(iii) जिला स्तर पर जिला परिषद्

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- जिला परिषद्, पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है. यह विभिन्न पंचायत समितियों की गतिविधियों को निर्देशित करती है.
- जिला परिषद् वास्तव में जिला स्तर पर विकास की योजनायें बनाती है.
- पंचायत समिति की सहायता से ये ग्राम पंचायतों के बीच धनराशि का विनिमय करती है.

शहरी स्थानीय स्वशासन

भारत में 'शहरी स्थानीय स्वशासन' का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है.

1992 का 74वां संशोधन

इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9(क) जोड़ा गया जोकि अनुच्छेद 243(त) से 243(यक्ष) तक है. साथ ही संविधान में इसके कार्यों से सम्बंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई.

1. संशोधन द्वारा संविधान में शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए.
2. स्वशासन की संस्थाओं को एक सामान्य नाम "नगरपालिका" दिया गया.

नगरपालिका के तीन प्रकार: अधिनियम राज्यों में तीन प्रकार के नगरपालिका की व्यवस्था करता है:

- नगर पंचायत – यह ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में होती है.
- नगरपालिका – यह 20000 से 3 लाख तक की जनसँख्या वाले छोटे शहरों के लिए होती है.
- नगर निगम – एक बड़े शहरी क्षेत्र जहाँ जनसँख्या 3 लाख से अधिक है, वहां नगर निगम होते हैं.

संरचना: नगरपालिका के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव उस क्षेत्र की जनता द्वारा किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा. नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का विधान राज्य विधानमंडल बनाएगा.

स्थानों का आरक्षण: नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसँख्या में अनुचित जाति/जनजाति की जनसँख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे. ऐसे ही, सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगेऔर वयस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में 1/3 स्थान जिसमें सुरक्षित स्थान भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

नगरपालिका का कार्यकाल :प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा. हालाँकि इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है.

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक मंच है और अपील का अंतिम न्यायालय है. भारतीय संविधान के अनुसार, "उच्चतम न्यायालय की भूमिका एक संघीय न्यायालय और संविधान के संरक्षक की है."

उच्चतम न्यायालय की संरचना

अनुच्छेद 124(1) के अनुसार मूलतः भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी. संविधान, संसद को कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है. तदनुसार संसद ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 पारित किया और यह संख्या 31 (1 मुख्य न्यायाधीश+30 अन्य न्यायाधीश) हो गई.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अहर्ताएं:

1. उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए.
3. या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था देता है. वह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो और उसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन प्राप्त होना चाहिए. उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या कदाचार होना चाहिए.
राष्ट्रपति को उसे हटाने का आदेश उसी सत्र में जारी करना पड़ेगा जिस सत्र में संसद ने यह संकल्प पारित किया हो. अनुच्छेद 124(5) के अधीन संसद किसी आवेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी. न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) के अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है.

- इसका समर्थन कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए.
- इसका समर्थन कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए.
- किसी भी सदन में निष्कासन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद उस सदन के सभापति को लगाये आरोपों की जाँच और दुर्व्यवहार या असमर्थता का सबूत उपलब्ध करने के लिए तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित करनी होगी.
- न्यायिक समिति के प्रमुख उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा. दो अन्य सदस्यों में एक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा.
- न्यायालय एक न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया को दो प्रमुख भागों, न्यायिक कार्यवाही और राजनीतिक कार्यवाही में विभाजित करता है.

न्यायिक भाग में शामिल हैं:

1. पीठासीन अधिकारी एक तीन सदस्यीय न्यायिक समिति नियुक्त करता है .
2. न्यायिक समिति आरोपों का अन्वेषण करती है .
3. राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश देते हैं .

जबकि राजनीतिक भाग में शामिल है :

1. संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत करना .
2. संसद के सदन का प्रस्ताव पारित करना .

न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि न्यायिक समिति द्वारा दुर्व्यवहार और असमर्थता के सबूत भली ही प्राप्त कर लिए जाएँ लेकिन इसके बाद भी संसद प्रस्ताव पास करने को बाध्य नहीं है. हालाँकि यदि न्यायिक समिति दुर्व्यवहार और असमर्थता के सबूत प्राप्त नहीं कर पाती है तो, संसद प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा सकती.

भारत में उच्चतम न्यायालय (क्षेत्राधिकार)

भारतीय संविधान के अध्याय 4, भाग 5 द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक मंच है और अपील का अंतिम न्यायालय है. अनुच्छेद 124 से 147 में इसकी संरचना और क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान हैं.
इसके क्षेत्राधिकार हैं- मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार
यह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो उच्च न्यायालय और रज्यों एवं अन्य क्षेत्रों के न्यायालयों के निर्णयों पर सुनवाई करता है.
उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे में और यहाँ तककि किसी एक राज्य के जिला न्यायालय के मामले को दूसरे राज्य के जिला न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है. उच्चतम न्यायालय के पास संविधान की समीक्षा की शक्ति है. भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया.
वेतन- संविधान का अनुच्छेद 125, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश एवं पेंशन आदि निर्धारित करने का अधिकार संसद को देता है. हालाँकि संसद, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

विशेषाधिकार और अधिकारों में कमी नहीं कर सकती. वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 90,000 और मुख्य न्यायाधीश का 1,00,000रु प्रतिमाह है.

उच्चतम न्यायालय से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु

1. उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में फातिमा बीवी बनी. यद्यपि अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है.
2. तदर्थ न्यायाधीश :

a) कोरम पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है.

b) तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति और सम्बंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है.

c) उच्चतम न्यायालय (और उच्च न्यायालय) के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं.

d) केवल व्ही व्यक्ति तदर्थ न्यायाधीश बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो.

3. मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं.
4. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे (1950 – 1951).
5. अब तक सबसे कम कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश के एन सिंह रहे हैं. (नवम्बर 1991 – दिसम्बर 1991, यूपी)
6. सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे (1978 – 1985, बॉम्बे)

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

a) मूल क्षेत्राधिकार :

a) मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि कुछ विशेष प्रकार के मामले केवल उच्चतम न्यायालय में ही निपटाए जा सकते हैं.

b) उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है -

c) केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो,

d) विवाद जिसमें केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना

e) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद.

f) मूल अधिकारों के पालन कराने से संबंधित विवाद

b) अपीलीय क्षेत्राधिकार:

अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि निचली अदालतों के मामले उच्चतम न्यायालय में आते हैं क्योंकि यह अपील का सर्वोच्च और अंतिम मंच है.

c) सलाहकार क्षेत्राधिकार:

1. सलाहकार क्षेत्राधिकार उस प्रक्रिया को बताता है जब राष्ट्रपति को किसी विधिक मामले में न्यायालय की सलाह चाहिए होती है.
2. यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह मांगते हैं तो इसके लिए अपना मत देना अनिवार्य है. हालाँकि, इस सलाह को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था में राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है.

1) संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार संघ के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा. लेकिन भारतीय संसद एक या अधिक राज्यों के लिए साँझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक कर सकती है. इसी प्रकार, संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी कर सकती है.
2) उच्च न्यायालय ममें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं. यह संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है.
3) एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, संघ के मुख्य न्यायाधीश और सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श स करेंगे. सम्बंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी प्रकार की जाएगी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के समान ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं.

योग्यताएं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए-

(a) वह भारत का नागरिक हो,

(b) उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या

(c) वह उच्च न्यायालय (या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो.

उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद सँभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, संविधान में निश्चित रूप में शपथ लेता है.

न्यायाधीशों को हटाना

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है. वह लिखित रूप में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर अपने पद से हटाया जा सकता है. इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है जिसे विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन (इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन) मिलना आवश्यक है.

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है जैसे रिट और संबंधित राज्य में अपीलीय क्षेत्राधिकार. संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के पालन कराने के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्यक्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई एक) जारी कर सकता है.

1) संसद सदस्य ,विधानसभा सदस्य या अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों को चुनौती देती चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती हैं .
2) अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध दीवानी और अपराधिक दोनों मामलों में यह अपीलीय न्यायालय है.

पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के तहत, उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय के रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है ताकि वह संतुष्ट हो सके कि कानूनी प्रक्रिया ठीक चल रही है. ऐसा वह किसी पक्ष की याचिका पर भी कर सकता है अथवा स्वयं संज्ञान भी ले सकता है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

सशस्त्र बालों के प्राधिकरणों को छोड़कर शेष सभी न्यायालय उच्च न्यायालय की देख रेख में अपना कार्य करते हैं.
यह शक्ति उसे संविधान का अनुच्छेद 227देता है. इस प्रकार राज्य न्यायपालिका का प्रशासन उच्च न्यायालय का आवश्यक कार्य है.

भारतीय संविधान में रिट

अनुच्छेद 32-35 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नागरिक न्यायालय में जा सकता है. अपने मूल अधिकारों का पालन कराने के लिए वह उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है. यह न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है. मूल अदिह्कारों का पालन कराने के लिए रिट केवल उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं.

लेख (रिट) के प्रकार :

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख:

(a) इसका अर्थ होता है 'को प्रस्तुत किया जाए'
(b) यह सुनिश्चित करता है कि बंदी गैरकानूनी हिरासत से बाहर किया जाए- अर्थात पर्याप्त सबूतों और कारणों के अभाव में हिरासत समाप्त की जाए.

2. अधिकार पृच्छा **लेख**:

(a) अधिकार पृच्छा का अर्थ है 'किस अधिकार से'
(b) यह रिट केवल तभी जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी सार्वजनिक पद या अधिकार को प्राप्त कर रखा है.
(c) यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्यालय में अनाधिकार हो, तो न्यायालय उसे कार्यालय में किसी गतिविधि से रोक सकता है या कार्यालय छोड़ने का आदेश दे सकता है.

3. परमादेश लेख:

(a) इसका अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं'. इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ अपने कर्त्तव्य पूर्ति के लिए जारी किया जा सकता है.
(b) यह वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता.
(c) उदाहरण के लिए, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर किसी याचिका को ख़ारिज करने या अधिकृत करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि न्यायालय उस पर निर्णय देने से मना कर दे तब इसके प्रयोग से उसे निर्णय देने को कहा जा सकता है.

4. उत्प्रेषण लेख:

(a) यह एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले के सभी कागजात अपने पास भेजने का आदेश है तक वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देख सके.
(b) यह एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का लेख है.
(c) यह रिट जारी करने का यह मतलब नहीं कि उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असहमत है. इसका केवल इतना अर्थ है कि कम से कम चार न्यायाधीश यह निर्धारित कर लें कि याचिका में जो परिस्थितियां बताई गई हैं वे समीक्षा के लिए पर्याप्त हैं.

5. प्रतिषेध लेख :

(a) यह किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्यायक्षेत्र से बहार कार्य करने या न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है. जैसे- किसी न्यायाधीश को ऐसे मामले की सुनवाई से रोकना जिसमें वो व्यक्तिगत रूचि लेता हो.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

(b) ये रिट 'वैकल्पिक' या 'अनुल्लंघनीय' रूप में होते हैं. वैकल्पिक रिट प्राप्तकर्ता को तुरंत उसका पालन करने का निर्देश देता है या पूछता है कि इन निर्देशों को स्थायी क्यों न कर दिया जाए. एक अनुल्लंघनीय रिट प्राप्तकर्ता को तुरंत कार्रवाई का निर्देश देता है, या निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय मांगकर रिट वापस कर देता है.

(c) यह रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब न्यायालय में सुनवाई चल रही है, यदि मामले में निर्णय दे दिया गया है तो रिट नहीं दी जा सकती.

केन्द्रशासित प्रदेश

- संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 में इस संबंध में प्रावधान है. वैसे तो सभी केन्द्रशासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं किन्तु उनके प्रशासन में एकरूपता नहीं है.
- प्रत्येक केन्द्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति अपने नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं. वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया नहीं.
- राष्ट्रपति उस प्रशासक का पदनाम तय कर सकते हैं : दिल्ली, पुद्दुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एवं लक्षद्वीप के मामले में यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है.
- संसद केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए, तीनो सूचियों (राज्य सूची सहित) के विषयों पर कानून बना सकती है. संसद की यह शक्ति दिल्ली और पुद्दुचेरी पर भी लागू होगी जिनकी अपनी राज्य विधानसभा है. साथ ही दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाएँ भी राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं. इसका अर्थ है कि केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधानसभा बना ने बाद भी उनके लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा

संविधान के भाग 10 का अनुच्छेद 370 इसे विशेष दर्जा देता है. अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संविधान के सभी प्रावधान इस राज्य पर लागू नहीं होंगे. यह भारतीय संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है.

राज्य के विशेष दर्जे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अन्य राज्यों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास हैं (संसद के पास नहीं)
2. राज्य का अपना संविधान है. यहाँ दोहरी नागरिकता का सिद्धांत भी लागू है.
3. भारतीय संविधान का भाग 4 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) और भाग 4(क) (मूल कर्त्तव्य) राज्य पर लागू नहीं होंगे.
4. युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही राज्य पर लागू होगा. लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल राज्य पर लगू नहीं होगा.
5. राज्य पर वित्तीय आपातकाल (अनु 360) लागू नहीं किया जा सकता.
6. अनु 19(1) और 31(2) इस राज्य में समाप्त नहीं किये जा सकते और संपत्ति का अधिकार अभी भी यहाँ के लोगों के लिए लागू है.
7. जम्मू और कश्मीर के लिए संसद किसी भी हालात में राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती.
8. राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाएगा.

संवैधानिक संस्थाएं

1) निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है.इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था. संविधान के अनु 324 के अनुसार संसद, राज्य

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

विधानमंडल, राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है.

- चुनाव संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार होना कराए जायेंगे..
- प्रमुख कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 है जिसमें मतदाता की भूमिका, चुनाव कराने के विभिन्न पक्ष और पुराने चुनाव विवाद हैं.
- भारत में मतदान प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है. वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं.
- आयोग पूरी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की देख रेख में कार्य करता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ समान होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती.
- राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है.
- राज्यों की पंचायतों व निगम चुनावों के लिए 'राज्य चुनाव आयोग' की व्यवस्था की गई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता

संविधान का अनु 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं :

1. मुख्य चुनाव आयुक्त की अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है. उसे उन्हीं रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अथवा नहीं.
2. चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा नहीं.

कार्य और शक्ति

1. संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना.
2. समय-समय पर निर्वाचक-नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना
3. निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परिक्षण करना
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना
5. राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना
6. निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना
7. संसद सदस्यों की निर्हरता के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना.
8. विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना
9. रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना.
10. निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना

संघ लोक सेवा आयोग

- स्वतंन्त्र भारत के लिए 26 जनवरी 1950 को नए संविधान लागू होने के साथ ही, संघीय लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग पड़ा.
- इसकी स्थापना अनु 315 के तहत की गई है. आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं.
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक का होता है.
- इसका मुख्य कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संघ के अंतर्गत पदों के लिए भर्ती करना है.

राज्य लोक सेवा आयोग

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं. लेकिन वे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं.
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है.
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक का होता है.
- इसका प्रमुख कार्य राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाना है.

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

- संविधान में दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लक सेवा आयोग की भी व्यवस्था है.
- इसकी स्थापना संबंधित राज्य के विधानसभाओं के आग्रह पर संसद द्वारा की जाएगी. हालाँकि यह एक वैधानिक निकाय है न की संवैधानिक.
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- भारतीय संविधान का अनु 148 एक स्वतंत्र, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पर्क्षक की व्यवस्था करता है.
- यह भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है.
- यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है. यह राज्य एवं देश के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ ही सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है.

नियुक्ति एवं कार्यकाल

इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.

- इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है.
- वह राष्ट्रपति के नाम कभ भ अपना त्यागपत्र दे सकता है. वह राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही अपने पद से हटाया भी जा सकता है.

सीएजी के कार्य

1. वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, से सभी व्यय संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा करता है.
2. वह भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षा करता है.
3. वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखों की भी लेखा परीक्षा करता है.

नोट: वह केंद्र सरकार के लेखों से सम्बंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार के लेखों से सम्बंधित रोर्ट राज्यपाल को सौंपता है.

भारत का महान्यायवादी

- अनु 76 के अनुसार राष्ट्रपति, उस व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा.
- वह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है.
- संविधान में इसका कार्यकाल तय नहीं है.
- वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है. उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं. वह संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद के दोनों सदनों में की कार्रवाई में भाग ले सकता है और अपने विचार रख सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता.
- वह किसी भी कानूनी विषय पर भारत सरकार को सलाह देता है.
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करे.
- वह संविधान या राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी कार्य से इनकार कर सकता है.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- अपने कार्य के लिए उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है.
- एक संसद सदस्य की तरह उसे सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं.

नोट: संविधान का अनु. 165 राज्य का महाधिवक्ता पद की व्यवस्था करता है. वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है. इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है. वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है.

संसदीय निधि

भारत की संचित निधि

3. अनु. 266 भारत की संचित निधि की व्यवस्था करता है.
4. यह एक संवैधानिक निधि है.
5. सरकार की सभी देयताएं, प्राप्तियां, लोन और भारत सरकार की आय इसमें जमा होती हैं.
6. यह भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि है.
7. यह भारत सरकार का एक नियमित फंड है.
8. सरकार के सभी खर्चे इसी निधि से होते हैं.
9. यह संसद की देख रेख में रखी जाती है. कोई भी राशि बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाली जा सकती. अनु. 266 प्रत्येक राज्य के लिए भी एक अलग संचित निधि की व्यवस्था देता है.

भारत का लोक लेखा

अनु. 266 के तहत भारत सरकार की देयता, प्राप्ति और लोन के अतिरिक्त अन्य कोई भी धन 'भारत के लोक लेखा' में जमा किया जाएगा. यह राष्ट्रपति के अधीन रहेगी. अनु. 266 राज्यों में भी ऐसे ही राज्य लोक लेखा की व्यवस्था करता है.

भारत की आकस्मिकता निधि

अनु. 267 संसद को यह अधिकार देता है कि वह, कानून द्वारा, एक लोक निधि बनाये जिसे 'भारत की आकस्मिकता निधि' कहा जाएगा. इसके अनुसार, सरकार ने भारत की आकस्मिकता निधि (विविध उपबंध अधिनियम 1950, बनाया जिसने अधिकतम 50 करोड़ रु के साथ भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की. यह भारत सरकार की नियमित निधि नहीं है और यह सरकार के अदृष्ट खर्चों के लिए प्रयोग की जाती है. यह राष्ट्रपति की निगरानी में रखी जाती है जो आपात खर्चे के लिए राशि जारी कर सकते हैं.

इस निधि क अप्रयोग तब किया जाता है जब संसद भारत की संचित निधि से अदृष्ट खर्चे के लिए राशि जारी करने की स्थिति में नहीं होती. राष्ट्रपति द्वारा यह राशि जारी करने से पूर्व इसे संसद के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है. यदि संसद का समर्थन मिल जाता है तो उतनी राशि आकस्मिकता निधि से संचित निधि में हस्तांतरित कर दी जाती है. संसद, विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की अह्दिकतम सीमा स्थायी या अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है.

राजनीतिक दल

एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 'राष्ट्रीय दल' और 'राज्य स्तरीय दल' में विभाजित किया जाता है. दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है.

राष्ट्रीय दल बनने के लिए शर्तें

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

राष्ट्रीय दल के लिए एक दल को निम्न अहर्ताएं पूरी करनी चाहिए:

1. यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पाता है तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, या
2. यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, या
3. यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो.

प्रमुख स्मरणीय बिंदु

1. एक वैधानिक प्रस्ताव का प्रारूप- विधेयक
2. संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त विधेयक - अधिनियम
3. एक वित्त वर्ष का भारत सरकार के खर्चों और प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण - बजट
4. राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के समक्ष अनुमति के लिए एक मंत्रालय/विभाग से सम्बंधित खर्चों का अनुमान जो संचित निधि से नहीं लिया जाएगा - अनुदान मांग
5. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों से सम्बंधित प्रतिवर्ष पेश किया जाने वाला विधेयक – वित्त विधेयक
6. संविधान के अनु. 110 के खंड 1 के उपखंड (क) से उपखंड (छ) में वर्णित किसी विषय से सम्बंधित विधेयक. (ऐसा विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता और जिसे राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता) - धन विधेयक
7. भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए लोकसभा में प्रतिवर्ष (या वर्ष में कई बार) लाया गया विधेयक - विनियोग विधेयक
8. मांग अनुदान या निश्चित राशि में कमी के लिए प्रस्ताव - कटौती प्रस्ताव
9. कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं : नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती
10. लोकसभा द्वारा वित्त वर्ष के एक हिस्से के लिए सरकार के खर्चे के लिए अग्रिम अनुदान. लेखानुदान पर प्रस्ताव, मांग अनुदान की तरह होता है – लेखानुदान
11. सदन का पहला घंटा सामान्यतः प्रश्न पूछने और उनके उत्तर के लिए होता है – प्रश्नकाल
12. स्वयं-निर्मित स्वतंत्र प्रस्ताव जो सदन के समर्थन के लिए रखा गया है – प्रस्ताव
13. अध्यक्ष द्वारा मतदान में बराबर किस स्थिति में दिया गया मत - निर्णायक मत
14. यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का होने के कारण इसका उत्तर मंत्री को 10 दिन में देना पड़ता है – अल्पसूचना प्रश्न

संसद में प्रस्ताव

(1) Private Member's business

प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है, एक निजी सदस्य कहलाता है. निजी सदस्य कार्य में निजी सदस्य विधेयक और प्रस्ताव होते हैं. इसके लिए न्यूनतम समय एक माह होता है.

(2) प्रश्न काल

सामान्यतः सदन के कार्य का पहला घंटा प्रश्न उत्तर का होता है.

(3) तारांकित और अतारांकित प्रश्न

ये मौखिक प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदन में सबके सामने दिया जाता है. इसमें अन्य सदस्यों द्वारा 5 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अतारांकित प्रश्न लिखित प्रकृति के होते हैं जिनका जवाब मंत्री लिखित में देते हैं. पूरक प्रश्न नहीं होता.

(4) अल्पसूचना प्रश्न

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों से जुड़े हैं और इनका जवाब मंत्री को 10 दिन में देना पड़ता है.

(5) स्थगन प्रस्ताव
यह सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है. यह किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों की और मंत्री का ध्यान दिलाता है.

(6) ध्यानाकर्षण
यह एक नोटिस होता है जिसमें कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में इन सूचनाओं के तहत मंत्री से टिपण्णी या वक्तव्य मांगता है. इसमें न मतदान होता है, ना पूरक प्रश्न. इसीलिए इसे कागजी प्रस्ताव कहा जाता है.

(7) विशेषाधिकार प्रस्ताव
यह कोई सदस्य तब रखता है जब उसे लगता है किकिसी मंत्री या किसी सदस्य की टिपण्णी से सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ हो.

बहुमत के प्रकार
1) साधारण बहुमत
इसका अर्थ है कि उपस्थित और मत देने वालों का 50% से अधिक बहुमत
उदाहरण:
• लोकसभा के कुल सदस्य= 545
• मतदान के समय उपस्थित सदस्य = 500 उपस्थित और मत देने वाले सदस्य = 400
इस मामले में साधारण बहुमत का अर्थ है 201 या अधिक सदस्यों की सहमति.

साधारण बहुमत से पारित प्रास्ताव:
1. अविश्वास प्रस्ताव
2. विश्वास प्रस्ताव
3. राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
4. निंदा प्रस्ताव
5. स्थगन प्रस्ताव
6. अनु.352 के अंतर्गत लोकसभा में प्रस्ताव
7. लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव
8. धन विधेयक
9. वित्त विधेयक और साधारण विधेयक
10. राज्य विधानसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक

2) पूर्ण बहुमत
इसका अर्थ है कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक का समर्थन. संविधान में ऐसे बहुमत की अलग से बात नहीं की गई है.

3) प्रभावी बहुमत
प्रभावी बहुमत से तात्पर्य है कि सदन की 50% से अधिक प्रभावी संख्या का समर्थन.

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

उदाहरण : राज्यसभा में कुल सदस्य 245 हैं. अगर मानें की किसी दिन 8 सदस्य अनुपस्थित हैं और 2 स्थान विभिन्न कारण से खाली हैं. अब सदन की प्रभावी संख्या 235 है. अतः प्रभावी बहुमत 118 या उससे अधिक होगा.

विशेष बहुमत

साधारण, पूर्ण और प्रभावी बहुमत से अलग अन्य बहुमत विशेष बहुमत कहलाते हैं.

विभिन्न प्रकार के विशेष बहुमत हैं :--

(a) अनु. 249 के तहत बहुमत

यह संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है. इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए.

(b) अनु. 312 के तहत बहुमत (एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का प्रारंभ)

यह प्रस्ताव आवश्यक रूप से राज्यसभा द्वारा पास किया जाना चाहिए. इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए. उसके बाद बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

(c) अनु. 368 के तहत बहुमत (संविधान संशोधन विधेयक)

विधेयक कहीं भी पेश कर सकते हैं. सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (पूर्ण बहुमत), उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए.

यह बहुमत निम्न मामलों में चाहिए:

- संविधान संशोधन विधेयक के लिए.
- राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए

निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है:

- उच्चतम/उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- राज्य चुनाव आयुक्त
- केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के सदस्य
- मुख्य सतर्कता आयुक्त

(d) अनु. 61 के तहत बहुमत (राष्ट्रपति पर महाभियोग)

उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत, दोनों सदनों से यह अलग अलग पारित होना चाहिए.

2/3 x 545 = 364 (लोकसभा)

2/3 x 245 = 164 (राज्यसभा)

विधेयकों से सम्बंधित अनुच्छेद

- अनुच्छेद 107 : विधेयक के पुरःस्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध
- अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- अनुच्छेद 109 : धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 : “धन विधेयक ”की परिभाषा
- अनुच्छेद 111 : विधेयक पर अनुमति
- अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 113 : संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

- अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 115 : अनुपूरक ,प्र्त्यायानुदान
- अनुच्छेद116:लेखानुदान,प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
- अनुच्छेद 117 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रकिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संदिये कार्यवाही की जांच न किया जाना

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3	नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन
5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
17	छुआछूत का अंत
18	उपाधियों का अंत
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार
52	भारत के राष्ट्रपति
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान
62	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय और आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
63	भारत के उप-राष्ट्रपति
64	उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति
65	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
76	भारत के महान्यायवादी
78	राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में पीएम के कर्त्तव्य
79	संसद का गठन.
80	राज्यसभा की संरचना
81	लोकसभा की संरचना
83	संसद के सदनों की अवधि
84	संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता
89	राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
90	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
93	लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्त होना, पद त्याग और हटाया जाना
101	स्थानों का रिक्त होना
102	सदस्यता के लिए निर्हर्तायें

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
127	तदर्थ जजों की नियुक्ति
131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
132	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
133	उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134	दंसिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
149	कैग के कार्य और शक्तियां
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल की पदावधि
157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
165	राज्य का महाधिवक्ता
167	राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य
169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
170	विधान सभाओं की संरचना
171	विधान परिषदों की संरचना
178	विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उसके द्वारा किस विशेष मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दावा न करना
179	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना
182	विधान परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
183	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना
184	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
185	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
197	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बन्धन
214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
222	एक जज का एक हाईकोर्ट से दुसरे में ट्रांसफर
231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना
239	केंद्र शासित प्रदेशों का शासन
239 A	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
240	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
243 E	पंचायत की कार्यावधि

Sscgyan.com for more pdf and updates

Sscgyan.com for more pdf and updates

244	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
252	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से विधि बनाने की संसद की शक्ति
266	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
267	आकस्मिकता निधि
280	वित्त आयोग
292	भारत सरकार द्वारा उधर लेना
293	राज्यों द्वारा उधर लेना
300 क	संपत्ति का अधिकार
312	अखिल भारतीय सेवाएँ
315	संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
320	लोक सेवा आयोग के कार्य
323A	प्रशासनिक अधिकरण
324	चुनावों के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
325	धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम नहीं हटाना
338	एससी, एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग
343	संघ की राजभाषा
345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
348	सुप्रीम और हाईकोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
352	आपात की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपातकाल)
356	राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)
360	वित्तीय आपातकाल
361	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
368	संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
370	जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध
371	महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
374	संघीय न्यायालय के जजों और संघीय कोर्ट में या सपरिषद हिज मजेस्ती के समक्ष लंबित रहना
376	हाईकोर्ट के जजों के बारे में उपबंध
377	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
394A	हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
395	निरस्त

Sscgyan.com for more pdf and updates